217

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

III/निगरानी/भिण्ड/भू-रा/2017/2714

उदयवीर शर्मा पुत्र श्री मेवाराम शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी-ग्राम सिनोर, परगना गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

......आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

श्री पी० के० तिवारी अभि० द्वारा आज दि. 21-8-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. अतुल शर्मा पुत्र श्री राकेश शर्मा
2. अनिल शर्मा पुत्र श्री राकेश शर्मा

निवासी-ग्राम 255 कोठी, लाल साहब का बगीचा मुरार ग्वालियर (म.प्र.)

21-8-17

..........अनावेदक /गैर निगरानीकर्ता

<u>निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16.08.2017 प्रकरण क्रमांक 20/2016-17/अ-6 द्वारा पारित तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)</u>

महोदय,

माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन निम्न लिखित प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मेवाराम शर्मा के स्थान पर ग्राम रामपुरा के भूमि सर्वे क्रमांक 847 रकवा 0.30 है. पर अपना नाम का नामांतरण कराये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो पटवारी मौजा द्वारा विवादित कर न्यायालय तहसीदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण क्रमांक 20/2016-17/अ-6 पर दर्ज हुआ । अंदर

Leg. 44

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/भिण्ड/भूरा/2017/2714

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
28-9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 20/अ-6/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 16.8.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2-आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में मुख्य रूप से इस तथ्य पर बल दिया गया है कि अन्तिम आदेश के विरूद्व अपील करने का प्रावधान है, लेकिन आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा-50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की है, निरस्त किये जाने योग्य है। 3-प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 20/अ-6/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक	

16.8.17 जो कि अन्तिम प्रकृति का आदेश है। अन्तिम प्रकृति के आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये।

सदस्य